बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0संख्याः– 3/अ0प्र0–1–501/2011 21 /पटना, दिनांक :– 6.5.22

कार्य प्रमंडल, भागलपुर अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पैकेज सं0–बी0आर0–06 आर0–014 के तहत निर्माण कार्य की अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता, प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गई जांच में प्रश्नगत पथ में प्रयुक्त GSB का गुणवत्ता जाँचफल में GSB का गुणवत्ता जाँचफल में GSB स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं पी0सी0सी0 की मुटाई प्रावधानित मुटाई 190mm से कम औसत मुटाई लगभग 167 मि0मी0 पाये जाने की अनियमितता के आधार पर आरोप पत्र गठित कर श्री भवेश चन्द्र दास, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर से विभागीय पत्रांक 1083 अनु0 दिनांक 18.03.2013 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप श्री दास कनीय अभियंता के विरूद्ध मुख्य अभियंता–1 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 398 अनु0 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दास के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की गयी। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दास द्वारा प्रश्नगत पथांश का निर्माण कार्य नव पदस्थापित कनीय अभियंता को सौंप दिये जाने के कारण आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि श्री दास द्वारा अपने प्रतिस्थानी को विधिवत कब प्रभार सौंपा गया तथा प्रभार हस्तगत कराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव उक्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुये असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 697 अनु0 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा श्री दास से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री दास के पत्रांक शून्य दिनांक 18.04.2022 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया। श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में कहा गया है कि प्रश्नगत पथांश का कार्य दिनांक–03.05.2011 तक ही इनके द्वारा किया गया था। तत्पश्चात पथ के निर्माण से कोई संबंध नहीं रहा। बचाव बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद में कार्यरत हो गये।

संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समग्र समीक्षा से यह परिलक्षित हुआ कि अधीक्षण अभियंता द्वारा दी गयी जाँच में जिन पथांशों में त्रुटियाँ पाई गयी, उससे संबंधित विपत्रों पर श्री दास का हस्ताक्षर है जो यह प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत पथांश से श्री दास संबंध रहे है। इस प्रकार श्री दास का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

4. उक्त के आलोक में श्री भवेश चन्द्र दास, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) के तहत निदंन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

अतः श्री भवेश चन्द्र दास, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भागलपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निंदन (आरोप वर्ष–2010–11)

(अशोक कुमार मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–501/2011 957 /पटना, दिनांक :– 6.5.22

प्रतिलिपि :–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर/मनिहारी/प्रशाख पदाधिकारी–4/5/ श्री भवेश चन्द्र दास, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–501/2011 957 /पटना, दिनांक :– 6.5.22

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख